

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक:- रास्कूशिप/जय/AS&FE/PMSHRI Sports Grant Direction/2025-26/

दिनांक:-

पी.एम.श्री स्पोर्ट्स ग्रांट दिशा-निर्देश 2025-26

खेल हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग है। खेलने से व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा इससे शरीर के रक्त परिसंचरण में सहायता मिलती है, जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। “स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है” इसलिये शारीरिक विकास के लिए खेलकूद जरूरी है, जो हमें खेलों के माध्यम से प्राप्त होता है। खेल से पारस्परिक सौहार्द व टीम भावना जागृत होती है।

बच्चों के स्वस्थ एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए खेलों के महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य की यू-डाइस 2023-24 के आधार पर राजस्थान राज्य के कुल 639 पी.एम. श्री विद्यालय (PM SHRI) योजना के अंतर्गत प्रति विद्यालय 50,000/- (पचास हजार रुपये) की गणना से कुल 319.50 लाख रुपये के बजट का प्रावधान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।

जिलेवार बजट परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय।

विद्यालय संख्या	यूनिट कॉस्ट रुपये में	बजट राशि लाखों में
639	50,000/-	319.50

1. विद्यालयों में निम्नलिखित खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु खेल सामग्री क्रय का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए –

प्रोत्साहित किए जाने वाले खेलों के नाम			
1	कबड्डी	6	बास्केटबॉल
2	टेबल टेनिस	7	जिम्नास्टिक्स
3	वालीबॉल	8	तीरन्दाजी
4	फुटबॉल	9	बैडमिंटन
5	टेनिस	10	हॉकी

2. खेल अनुदान राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश:-

- विद्यालयों द्वारा खेल अनुदान राशि का उपयोग खेल सामग्री क्रय किए जाने में किया जाना है।
- एसएमसी/एसडीएमसी विद्यालयों में खेल सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय तथा विद्यार्थियों की उपयोगिता अनुसार ही खेल सामग्री क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
- जो खेल सामग्री सही हालत में उपलब्ध है, उसे पुनः क्रय नहीं करें।
- “नो-बैग डे” पर आवश्यक रूप से विद्यार्थियों को खेल सामग्री दी जावे।
- सप्ताह में कम से कम एक कालांश खेल सम्बन्धी होना चाहिये।
- सूची में उल्लेखित खेल सामग्री से पृथक खेल सामग्री क्रय करने के लिए एसएमसी/एसडीएमसी को स्वीकृति आदेश जारी करना होगा।
- विद्यालयों में क्षेत्रीय एवं परम्परागत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल सामग्री एवं उपकरणों को क्रय भी किया जा सकेगा।

- निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा राजकीय विद्यालयों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में आयोजित होने वाले खेलों की खेल सामग्री को क्रय किये जाने हेतु खेल अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकेगा।
- खेल अनुदान राशि द्वारा क्रय की गई खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का विद्यालय में खेल सामग्री/उपकरण स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।
- स्टॉक रजिस्टर में क्रियाशील सामग्री, मरम्मत योग्य सामग्री एवं खारिज योग्य सामग्री एवम् नवीन सामग्री के नाम से खेल सामग्री/उपकरणों का रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।
- विद्यालय के शारीरिक शिक्षक/ खेल प्रभारी शिक्षक द्वारा खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा खेल सामग्री/उपकरणों एवं खेल सहायक सामग्री का रख-रखाव किया जायेगा।
- राशि व्यय/उपयोग के उपरान्त अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद को प्रेषित किये जाए।
- खेल व खेल सामग्रियों का कक्षा स्तरवार विवरण निम्नानुसार है –

सारणी – 1

खेल सामग्री	कक्षा	खेल सामग्री	कक्षा	खेल सामग्री	कक्षा
प्लास्टिक क्रिकेट बॉल-साईज 2	1 to 2	लकड़ी का क्रिकेट बेट – आकार 4	6 to 8	स्किपिंग रोप	9 to 12
लकड़ी का क्रिकेट बेट – आकार 4	1 to 2	टेनिस बॉल	6 to 8	शॉट पुट (रबड़)	9 to 12
क्रिकेट स्टम्प सैट	1 to 2	पीयू वॉलीबॉल – आकार 4	6 to 8	डिस्कस (रबड़)	9 to 12
सॉफ्ट बॉल (छोटी)	1 to 2	वॉलीबॉल नेट	6 to 8	बेडमिंटन रैकेट	9 to 12
टेनिस बॉल	1 to 2	हैण्डबॉल –आकार 1 (50–52 सेमी)	6 to 8	बेडमिंटन शटल	9 to 12
प्लास्टिक बॉल	1 to 2	थ्रो बॉल	6 to 8	लकड़ी का क्रिकेट बेट – आकार 4	9 to 12
पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल- आकार 3	1 to 2	रग्बी बॉल	6 to 8	टेनिस बॉल	9 to 12
बास्केट बॉल	1 to 2	बॉस्केट बॉल	6 to 8	थ्रो बॉल	9 to 12
रग्बी सॉफ्ट बॉल	1 to 2	पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल – आकार 4	6 to 8	पीयू वॉलीबॉल – आकार 4	9 to 12
फ्रिज्बी	1 to 2	फ्रिज्बी	6 to 8	वॉलीबॉल नेट	9 to 12
मल्टी कलर्ड हुला हूप्स	1 to 2	फुर्ती/चपलता की सीढ़ी	6 to 8	हैण्डबॉल –आकार 1 (50–52 सेमी)	9 to 12
सोसर कोन	1 to 2	6" स्टेप हर्डल	6 to 8	बॉस्केट बॉल	9 to 12
बीन बैग्स	1 to 2	9" स्टेप हर्डल	6 to 8	रग्बी बॉल	9 to 12
बीन बैग्स –स्कॉर्फ	1 to 2	मार्किंग कोन 1 से 9 नंबर के साथ	6 to 8	पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल –आकार 5	9 to 12
6" स्टेप हर्डल	1 to 2	मार्किंग कोन 12"	6 to 8	पॉप अप फुटबॉल गोल्स पोस्ट बिग	9 to 12
12 फीट पैराशूट	1 to 2	सोसर कोन	6 to 8	रिलेय बेटोन्स	9 to 12
फुट पम्प बॉस्केट बॉल- आकार 3	1 to 2	नायलोन बिब्स ग्रीन	6 to 8	मार्किंग कोन 1 से 9 नंबर के साथ	9 to 12
शॉट पुट (रबड़)	3 to 5	फुट पम्प बॉस्केट बॉल- आकार 3	6 to 8	मार्किंग कोन 12"	9 to 12
डिस्कस (रबड़)	3 to 5	फस्ट एड किट	6 to 8	नायलोन बिब्स ग्रीन	9 to 12
फोम जैवलीन	3 to 5	फुटबॉल गोल्स पोस्ट 6ft. x 3.5ft.	9 to 12	सोसर कोन	9 to 12
शॉट पुट (रबड़)	6 to 8	फुट पम्प	9 to 12	फुर्ती/चपलता की सीढ़ी	9 to 12
डिस्कस (रबड़)	6 to 8	फस्ट एड किट	9 to 12	9" स्टेप हर्डल	9 to 12
स्किपिंग रोप	6 to 8	फ्रिज्बी	9 to 12	12" स्टेप हर्डल	9 to 12

राशि के व्यय हेतु समय सीमा:-

70 प्रतिशत राशि व्यय	30 प्रतिशत राशि व्यय
माह सितम्बर, 2025 तक	माह नवम्बर, 2025 तक

3. कक्षा अनुसार सुझावात्मक खेल गतिविधियाँ:-

:: प्राथमिक वर्ग ::

I- खेल गतिविधि अनुसार कौशल विकास –

- हस्त कौशल (कैंचिंग, थ्रोईंग, किकिंग आदि)
- शरीर प्रबंधन कौशल (बैलेंस और स्थिरता)
- लोकोमोटर कौशल (रनिंग, जंपिंग, होपिंग, गैलपिंग आदि)

II- आनंद दायक खेल –

- हैंडबॉल, हॉकी, कराटे, कुश्ती, किक बॉक्सिंग, योगा।
- व्यक्तिगत खेल (जैसे- स्केटिंग, रस्सी स्किपिंग, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, किक-बॉक्सिंग)
- सामूहिक खेल
 - आक्रमण के खेल (जैसे- बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल)
 - रैली गेम्स (जैसे- टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, बॉलीबॉल)

► इनिंग गेम्स (जैसे- क्रिकेट, खो-खो, राउंडर्स, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल)

III- पारम्परिक भारतीय स्वदेशी खेल -

- | | | | |
|----------|----------------------------------|------------|-----------------|
| • कबड्डी | • घेरा रोलिंग (घेरा/टायर रोलिंग) | • पिट्टू | • बोरा दौड़ |
| • खो-खो | • आंख मिचौली | • रस्साकशी | • कन्चे (कौड़ी) |

IV- अन्य क्षेत्रीय खेल -

- | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|---------------|--------|
| • अट्ट्या पट्ट्या | • कैरम | • मलखंब | • सॉफ्ट टेनिस | • योगा |
| • लंगड़ी | • जूडो | • रोलर स्केटिंग | • स्क्वॉश | • लूडो |
| • सितोलिया | • खो-खो | • शूटिंग बॉल | • रस्साकशी | |

मुख्यधारा के खेल (एथलेटिक्स के अलावा, जिमनास्टिक्स, तैराकी) को तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात् प्रादेशिक, नेट / वॉल गेम एवं क्षेत्ररक्षक में विभाजित किया जा सकता है।

V- प्रादेशिक खेल -

प्रादेशिक खेल वे हैं, जिनमें दो टीमों एक ऐसे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करती हैं जो आक्रामक और रक्षात्मक खेलने की संभावनाएं प्रदान करती हैं। लक्ष्य एक प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र को स्कोर करने के लिए आक्रमण करना है। स्कोरिंग एक विशेष लक्ष्य के लिए प्रोजेक्टिंग एवं ऑब्जेक्ट (जैसे एक गेंद) द्वारा हासिल की जाती है, गेंद को लक्ष्य क्षेत्र में सटीक रूप से शूट किया जाता है या गेंद को एक खुले सिरे वाले लक्ष्य (जैसे एक रेखा के पार) में स्थानांतरित किया जाता है। जो निम्न है:-

- | | | |
|--------------|----------|----------|
| • बास्केटबॉल | • हॉकी | • रग्बी |
| • हैंडबाल | • नेटबॉल | • फुटबॉल |

VI- नेट/ वॉल गेम -

नेट/ वॉल गेम वे हैं जिनमें दो खिलाड़ी/ टीम एक क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें नेट को निर्धारित ऊंचाई पर रखा जाता है। प्रतिद्वंद्वी एक सफल वापसी करने में असमर्थ होता है तो दूसरे दल को स्कोर प्राप्त होता है, जो निम्न है :-

- | | | |
|--------------|-----------|-----------|
| • बैडमिंटन | • टेनिस | • स्क्वॉश |
| • टेबल टेनिस | • वॉलीबॉल | |

VII- क्षेत्र-रक्षण खेल -

क्षेत्ररक्षण खेल वे हैं, जिनमें दो टीमों एक ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा करती हैं जो आक्रामक और रक्षात्मक क्रियाओं के लिए संभावनाएं प्रदान करती हैं। बल्लेबाजी टीम के लिए लक्ष्य एक वस्तु (गेंद) पर प्रहार करना होता है। क्षेत्र रक्षकों से बचकर व वस्तु (गेंद) सीमा रेखा के बाहर हो जाये तब स्कोरिंग हासिल होती है। क्षेत्ररक्षण टीम का लक्ष्य बल्लेबाजी टीम को रन बनाने से रोकना है।

:: उच्च प्राथमिक वर्ग ::

सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो-खो, नेटबॉल, लॉन टेनिस, रग्बी, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, टेबल-टेनिस, रस्साकशी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, क्रिकेट, नेटबॉल, योगा, आदि।

:: माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग ::

सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स और स्नूकर, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो-खो, नेटबॉल, मल्लखंब, लॉन टेनिस, पैरा स्पोर्ट, रोलर स्केटिंग, रग्बी, स्कूल गेम्स, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, टेबल-टेनिस, वॉलीबॉल, वेट-लिफ्टिंग, कुश्ती, क्रिकेट, किक बॉक्सिंग, योगा, आदि।

4. खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों के रख-रखाव एवं उपयोग हेतु दिशा-निर्देश:-

विद्यालय में उपलब्ध खेल सुविधाओं की सफलता उनके उपयोग पर निर्भर करती है। इसके लिए खेल सामग्री एवं उपकरणों का उपयोग किये जाने की स्थिति में आवश्यक है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए:-

- खेल मैदान की स्वच्छता एवम् खेल उपकरणों का नियमित रखरखाव करना आवश्यक है।
- खेल मैदान में केवल अनुशंसित फुटवियर की अनुमति दे।
- जमीन का स्तर और ढलान ऐसा होना चाहिए जिसमें जल जमाव न हो।

- खेल गतिविधियों के दौरान उचित संख्या में कचरा पात्रों की व्यवस्था की जाए।

5. मॉनीटरिंग –

- विद्यालयों द्वारा स्पोर्ट्स ग्रांट की राशि का उपयोग नियमानुसार किये जाने एवं सामग्री की गुणवत्ता; लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक सीआरसी / यूसीईओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों की नियमित मॉनीटरिंग करेंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय स्तर पर तीन सदस्य यथा सीबीईओ, एसीबीईओ, लेखा अधिकारी की समिति का गठन कर सीआरसी/यूसीईओ द्वारा की जा रही मॉनीटरिंग एवं विद्यालयों द्वारा क्रय की जा रही खेल सामग्री को लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे।
- जिला कार्यालय स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं सम्बन्धित सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी संयुक्त रूप से विद्यालयों द्वारा लेखा एवं वित्तीय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया अपनाते हुये क्रय की जा रही खेल सामग्री की कार्यवाही की विद्यालय स्तर एवं ब्लॉक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही मॉनीटरिंग की समीक्षा करेंगे।
- किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही विभाग द्वारा अमल में लायी जाएगी। अतः खेल सामग्री की क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुये लेखा नियमानुसार कार्यवाही कर गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्रय की जाये।

पीएमश्री विद्यालयों की मॉनीटरिंग/निरीक्षण रोटेशन –

- पीईओ/यूसीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 10 प्रतिशत कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- इसी प्रकार सीबीईओ द्वारा शिविरा पंचांग के अनुसार सम्बन्धित माह के कार्यदिवसों के 02 प्रतिशत कार्य दिवसों में परिक्षेत्र के पीएमश्री विद्यालयों का नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/सम्बलन प्रदान करेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा माह में एक से दो बार नियमित रूप से निरीक्षण कर सम्बलन तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

Sports Equipment Budget under PM SHRI 2025-26

S.No .	District	1 to 5 Schools	1 to 8 Schools	1 to 12 Schools	6 to 12 Schools	Total Schools	Per School unit cost in lac	Total Budget in lac
1	AJMER		2	17		19	0.50	9.500
2	ALWAR			16		16	0.50	8.000
3	BALOTARA			11		11	0.50	5.500
4	BANSWARA		4	14		18	0.50	9.000
5	BARAN		4	12		16	0.50	8.000
6	BARMER			18		18	0.50	9.000
7	BEAWAR	1	5	6		12	0.50	6.000
8	BHARATPUR		4	11		15	0.50	7.500
9	BHILWARA		4	19		23	0.50	11.500
10	BIKANER		1	15	1	17	0.50	8.500
11	BUNDI	1	1	10		12	0.50	6.000
12	CHITTAURGARH		2	15		17	0.50	8.500
13	CHURU			15	1	16	0.50	8.000
14	DAUSA		1	15	1	17	0.50	8.500
15	DEEG		1	6		7	0.50	3.500
16	DHAULPUR		2	10	2	14	0.50	7.000
17	DIDWANA-KUCHAMAN		1	13	1	15	0.50	7.500
18	DUNGARPUR		2	12		14	0.50	7.000
19	GANGANAGAR	2	3	14	1	20	0.50	10.000
20	HANUMANGARH		4	12		16	0.50	8.000
21	JAIPUR	1	5	23	1	30	0.50	15.000
22	JAISALMER		1	8		9	0.50	4.500
23	JALOR		2	16		18	0.50	9.000
24	JHALAWAR		2	12		14	0.50	7.000
25	JHUNJHUNU		1	19	1	21	0.50	10.500
26	JODHPUR	1	3	16		20	0.50	10.000
27	KARALI			14		14	0.50	7.000
28	KHAIRTHAL-TIJARA			10		10	0.50	5.000
29	KOTA	2	3	9		14	0.50	7.000
30	KOTPUTLI-BEHROR		2	7		9	0.50	4.500
31	NAGPUR	1	2	12		15	0.50	7.500
32	PALI		3	15		18	0.50	9.000
33	PHALODI		1	9		10	0.50	5.000
34	PRATAPGARH		1	13		14	0.50	7.000
35	RAJSAMAND	1	3	12		16	0.50	8.000
36	SALUMBAR		2	6		8	0.50	4.000
37	SAWAI MADHOPUR			10		10	0.50	5.000
38	SIKAR		3	24	1	28	0.50	14.000
39	SIROHI	1		9		10	0.50	5.000
40	TONK		2	14		16	0.50	8.000
41	UDAIPUR		2	20		22	0.50	11.000
	Grand Total	11	79	539	10	639		319.500

पीएमश्री विद्यालयों के लिए जारी बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र

पीएमश्री स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर) A-1

विद्यालय का नाम यू डाईस कोड.....
 ब्लॉक कार्यालय से स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) प्राप्त राशि दिनांक

पीएमश्री स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण-पत्र A-2

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ ब्लॉक जिला

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	PEEO / UCEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू-डाई स	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति

पीएमश्री स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) (ब्लॉक कार्यालय स्तर) A-3

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025-26 हेतु जिला कार्यालय से स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) मद में कुल राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल राशि जारी की गयी।

ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :-

स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) राशि उपयोग का विवरण								
क्र.सं.	PEEO / UCCEO कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec/ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग परम्बात अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधिशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर संकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
	योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

पीएमश्री स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) (जिला स्तर) A-4

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में जिला को स्पोर्ट्स ग्रान्ट (Sports Grant) मद में प्राप्त राशि रुपये में से कुल प्राथमिक, कुल उच्च प्राथमिक, कुल माध्यमिक एवं कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

6. लेखा सम्बन्धी नियम :-

- सामग्री का क्रय करने हेतु चार सदस्यों की समिति बनाई जाए, जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी के दो सदस्य, सदस्य सचिव व सम्बन्धित विद्यालय का संस्थाप्रधान को सम्मिलित किया जाए।
- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

(अनुपमा जोरवाल)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- रास्कूशिप/जय/वै.शि./पीएमश्री स्पोर्ट्स/दिशा-निर्देश/2025-26/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाने का श्रम करावें।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. प्रोग्रामर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. संस्थाप्रधान समस्त पीएमश्री को प्रेषित कर लेख है कि उक्त गतिविधियों का समय पर संपादन करना सुनिश्चित करें।
13. सचिव, एसएमसी/एसडीएमसी समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Anupama
Jorwal
Designation : State Project
Director
Date :03-06-2025 05:13:43